

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ८/५५६३ /

जबलपुर, दिनांक 27/06/2025

IV-12-14/80 Pt VII-U

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1 / 2025 / नियम / चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के अनुसार श्री पवन शर्मा, सीनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर संलग्न को दिनांक 17/05/2025 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक ८/५५६५ /

जबलपुर, दिनांक 27/06/2025

IV-12-14/80 VII Pt VII-U

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री पवन शर्मा, सीनियर ज्यूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर की स्थापना पर संलग्न की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)